<u>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.</u>

<u>अपील संख्या – 2116/2006/नागौर</u>

मैसर्स सर्वोत्तम इण्डस्ट्रीज़, पूंजीयास। .......अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागौर । .....प्रत्यर्थी

**<u>एकलपीठ</u>**

**<u>श्री मदन लाल, सदस्य</u>**

उपस्थितः–

श्री डी.कुमार, अभिभाषक ......................अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक .....................प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :09.04.2014

**<u>निर्णय</u>**

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2006 जो अपील क्रमांक 03/2002–03/सी.एस.टी. के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–नागौर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(6) के तहत् निर्धारण वर्ष 1999–2000 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 11.01.202 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा आलोच्य निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम व द्वितीय त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत किये गये हैं। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत् शास्ति ₹510/– आरोपित की गयी। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संदेय कर राजकोष में देरी से जमा करवाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् ब्याज ₹2,382/– व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में डी.ओ.सी का ₹37,09,904/– का विक्रय करने के कारण उक्त विक्रय कर राज्य सरकार द्वारा जारी **<u>अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(4)एफडी/टैक्स–डिवी/99–262 दिनांक 19.01.2000</u>** के आलोक में, 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, कर ₹37,099/– व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर राशि में से ₹16,930/– देरी से जमा कवाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् ब्याज ₹7,111/– आरोपित कर, निर्धारण आदेश दिनांक 11.01.2002 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित

लगातार..................2

शास्ति ₹510/– को शास्ति आरोपण से पूर्व नोटिस जारी किये जाने के अभाव में, अपास्त कर, शेष विवादित बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की गयी। उक्त पारित अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.4(25) एफडी ग्र–IV/92 पीटी–II-21 28-09-1995 प्रकाशित दिनांक 29.09.1995 व अधिसूचना कमांक एफ.4(22) एफडी/टैक्स–डिवी/2000–116 दिनांक 24.11.2001 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 29.09.1995 के अनुसार ऑयल केक एवं डी.ओ.सी कैटल फीड में शामिल होने के कारण कर मुक्त थे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.11.2001 के द्वारा कैटल फीड में से ऑयल केक एवं डी.ओ.सी. को हटा दिये गये थे। इससे पूर्व मूल अधिसूचना में कैटल फीड में से मात्र ग्वार, कपासिया को ही परिवर्जित (exclude) किया गया था। अतः प्रोद्धरित अधिसूचनाओं के आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में आरोपित कर ₹37,099/– अविधिक रूप से आरोपित किया गया है जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर ₹16,930/– व उक्त कर को जमा नहीं करवाने के कारण आरोपित ब्याज ₹7111/– को भी अविधिक होना प्रकट कर, उक्त बिन्दुओं पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.4(25) एफडी ग्र–पीटी/92 पीटी–II-21 28-09-1995 प्रकाशित दिनांक 29.09.1995 व कमांक एफ.4(22) एफडी/टैक्स–डिवी/2000–116 दिनांक 24.11.2001 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि राज्य सरकार द्वारा जरिये

लगातार.................3

**अधिसूचना कमांक एफ.4(4)एफडी/टैक्स–डिवी/99–262 दिनांक 19.01.2000** के ऑयल केक व डी.ओ.सी के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 19.01.00 के बाद ऑयल केक व डी.ओ.सी का विक्रय 37,09,904/– किया गया है जिस पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में, 4 प्रतिशत की दर से कर ₹37,099/– आरोपित किया गया जो पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित **राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.4(25) एफडी ग्र–पीटी/92 पीटी–प्.21 28.09.1995 प्रकाशित दिनांक 29.09.1995** हस्तगत प्रकरण की अवधि से पूर्व की अवधि से संबंधित है जो अधिसूचना दिनांक 19.01.2000 के पश्चात् इस पर लागू नहीं होती है। यद्यपि यह सही है कि अधिसूचना दिनांक 29.09.1995 में से ऑयल केक व डी.ओ.सी. दिनांक 24.11.2001 को अधिसूचना द्वारा अपवर्जित किये गये परन्तु इससे पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.01.2000 जारी कर, ऑयल केक व डी.ओ.सी. को 4 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य होना घोषित किया गया था एवम् उक्त विशिष्ट प्रविष्टि है। अतः उक्त अधिसूचना का प्रभाव/लाभ हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को देय नहीं है । अतः उक्त बिन्दु पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर राशि में से ₹16,930/– देरी से जमा करवाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित ब्याज ₹7,111/– व अन्य ब्याज राशि ब्याज ₹2382/–का प्रश्न है, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य बिक्री के अनुरूप बनने वाले कर को समय पर राजकोष में जमा नहीं करवाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत् ब्याज निर्धारित कर, निर्धारण आदेश पारित किया ,जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ब्याज 'ऑटोमेटिक' है, जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै0 हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी 32 एस.टी.सी. 496** में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त

लगातार.................4

बिन्दु पर पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त बिन्दु पर भी अस्वीकार की जाती है ।

7. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

9.4.2015

( मदन लाल )

सदस्य